संघे शक्ति कलियुगे

रजि0 पंजी0 क्र 3473/73

म. प्र. पटवारी संघ भोपाल

प्रांताध्यक्ष
उपेन्द्र सिंह बाघेल
मो० -9425331737

संभागाध्यक्ष, भोपाल
सौरभ सिंह भदौरिया
मो०-9039876005

क्रमांक/001/सुझाव/2025 **भोपाल , दिनांक 05/01/2025**

प्रति

1- प्रांताध्यक्ष महोदय , म.प्र.पटवारी संघ भोपाल

2- प्रांतीय कार्यकारिणी, म.प्र.पटवारी संघ भोपाल

विषय- निवाडी सम्मेलन जनवरी -2025 में पटवारी संवर्ग हितार्थ सुझाव प्रस्तुत करने हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रस्तावना है कि म. प्र. पटवारी संघ निवाड़ी जिला इकाई द्वारा पटवारी सम्मेलन का आयोजन दिनांक 05-01-2025 को आयोजित किया जा रहा है जिसमें संभागीय समागम में पटवारी के लिऐ सुझाव आमांत्रित किये गये है । भोपाल संभाग के जिलाध्यक्षों एवं विभिन्न पटवारी साथियों से चर्चा उपरांत मैं सौरभ सिंह भदौरिया, संभागाध्यक्ष संभाग भोपाल निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत करता हूँ -

1- प्रदेश में चलाये जा रहे राजस्व अभियानों की तरह ही राजस्व कर्मचारियों पटवारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु **राजस्व सेवक समाधान अभियान** चलाया जाये ।

2- तहसील एवं जिला स्तर पर पटवारियों एवं कोटवारों की समस्याओं की नियमित सुनवाई हेतु एवं **तकनीकि व्यवधानों** के निराकरण हेतु **विषय TL में रखने एवं सुनवाई सेल** की व्यवस्था की जाये ।

3- संघ के प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचन में **तहसील अध्यक्ष** एवं **तहसील सचिव** को मतदान अधिकार एवं मतदान प्रक्रिया पारदर्शी बनायी जाये जिससे संघ के नेतृत्व पर सभी का विश्वास बना रहे ।

4- प्रदेश में वर्तमान में कुछ पटवारियों द्वारा नया संघ बनाया बनाया गया है जिससे प्रदेश की पटवारी शक्ति बटने से कमजोर हो रही है , अत: दोनों **संघो का विलय** किया जाये ।

5- पटवारियों के विभिन्न कार्यों **परीवीक्षा समाप्ति / क्रमोन्नति / एरियर** आदि के समय से भुगतान हेतु शासन से समय सीमा आदेश जारी किये जाये ।

6- **सेवानिवृत पटवारियों** के पेंशन आदि मामलों के अविलंब निराकरण हेतु जिम्मेदारी तय की जाये ।

7- पटवारियों का भविष्य तय करने प्रस्ताव **कैडर रिव्यू / निश्चित प्रमोशन** की व्यवस्था की जाये जिससे पटवारी अपने भविष्य को देखते हुये कार्यों को गम्भीरता एवं प्रतिस्पार्धी रूप से बेहतर निष्पादन करेंगें परिणामत: नागरिकों को बेहतर सेवाऐं प्राप्त होंगी ।

8- पटवारी का मुख्यालय तहसील किया जाये ।

9- तहसील स्तर पर अन्य शासकीय सेवकों की भांति कम से कम 50 प्रतिशत पटवारियों को शासकीयय आवास उपलब्ध कराये जायें ।

10- स्थानांतरण की व्यवस्था तहसील से तहसील जिला से जिला प्रक्रिया म्युचूअल/ अपग्रेड/ संविलियन आदि से प्रतिवर्ष कराई जाये जिससे पटवारी अपने परिवार माता-पिता के पास रहकर निश्चिंत होकर शासकीय कार्य निष्पादन कर सकें ।

11- कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख के राजस्व विभाग में विलय पर पटवारी संवर्ग में सुधार शमिल करते हुये - नायब तहसीलदार भर्ती में 50 प्रतिशत पद पटवारियेां से भरे जायें , एवं पटवारी का पदनाम बदल कर सहायक राजस्व अधिकारी ग्राम राजस्व अधिकारी या सहायक राजस्व निरीक्षक किया जाये ।

12- प्रदेश में पटवारियों की छवि सुधारने/संगठन की मजबूती पर रचनात्मक/नवाचार कार्य किया जाये ।

(सौरभ सिंह भदौरिया)
संभागाध्यक्ष ,भोपाल संभाग
म०प्र० पटवारी संघ ,भोपाल

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक F-10-10-97-1&15 भोपाल दिनांक 29/05/1998 के अनुसार संघ के पत्रों का उत्तर देना अनिवार्य है।